



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/ 889

24.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: RoDTEP दरों का युक्तिकरण।**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने **अधिसूचना संख्या 60/2025-26 दिनांक 23 फरवरी 2026** जारी की है, जिसमें निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

**RoDTEP दरों का युक्तिकरण**

तत्काल प्रभाव से, **परिशिष्ट 4R** में अधिसूचित सभी एचएस लाइनों के लिए लागू आरओडीटीईपी दरें लागू होंगी। **और परिशिष्ट 4RE मौजूदा दरों के 50% तक सीमित होगा और, जहां लागू हो, अधिसूचित मूल्य सीमा के 50% तक सीमित होगा।**

सदस्य आधिकारिक अधिसूचना यहां देख सकते

हैं: [https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260223053450.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260223053450.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल

